


तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज शीशराम बनाम तहसीलदार सीकर मु0नं0 31 / 2020	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
14.10.2021	<p>पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थी एवं वकील अपीलार्थी अनुपस्थित। अपीलार्थी एवं वकील अपीलार्थी को कई बार आवाज लगाई गई परन्तु अपीलार्थी एवं वकील अपीलार्थी अनुपस्थित रहे। अतः अपील अपीलार्थी अदम हाजरी अदम पेरवी में खारीज की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय का रेकार्ड निर्णय की प्रति के साथ लौटाया जावे। इस न्यायालय की पत्रावली फैसल शुमार नम्बर से कम होकर बाद पूर्ति लेख भण्डार हो।</p> <p style="text-align: right;"> (बाबूलाले गोयल) अति. संभागीय आयुक्त, जयपुर</p>	

31
2020



2020/00238

न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी महोदय, सीकर ।

1. शिवराम । पुत्रगण मन्नाराम जाति जाट निवासी जैरठी तहसील
2. मदनलाल । जिला सीकर ।

--- अपीलानं न

बनाम

तहसीलदार महोदय, सीकर ।

--रिपॉर्ट

अपील विरुद्ध निर्णय दिनांक 30.4.2013

न्यायालय जिला कलेक्टर महोदय, सीकर

अपील विरुद्ध आज्ञा दिनांक 21.6.2011 न्यायालय

तहसीलदार महोदय, सीकर वित्तिसिले प्रकरण अनुदानों

सरकार बनाम मदनलाल आदि सु.नं. 62/2011 अन्तर्गत

धारा 91 ले. रे. एक्ट

द्वितीय अपील अन्तर्गत धारा 76 राज. ले. रेवेन्यू एक्ट

मान्यवर,

संक्षेप में तथ्य अपील इस प्रकार है कि विवादित भूमि खसरा नं. 1179/287 रकबा 11.21 है० तन ग्राम जैरठी तहसील सीकर जो सरकारी भूमि है के सम्बन्ध में पटवारी हल्का ने रिपोर्ट की कि अपीलान्त ने 0.05 है० पर अतिक्रमण कर लिया जिस पर योग्य तहसीलदार महोदय ने अनावश्यक तत्परता दिखाकर उसी रोज प्रकरण दर्ज कर उसी रोज अपीलान्तान के नोटिस जारी किए जाने की आज्ञा पारित करदी व आगामी पैंशी 17.6.2011 निश्चित करदी जिसकी अपीलान्त संख्या 1 पर कोई तामील नहीं हुई व अपीलान्त संख्या 1 ने विवादित स्थल व अपीलान्त की भूमि को नपती किए जाने की प्रार्थना की योग्य तहसीलदार महोदय ने आर्यदा तारीख पैंशी 21.6.2011 निश्चित की व पटवारी हल्का के बयान लिए बिना व विवादित जगह व अपीलान्त की भूमि को नपती किए बिना व अपीलान्तान से बिना सबूत साक्ष्य लिए ही तथा बिना मौका देये, एक साइकलोस्टार्डल छपे छपाये कागज पर अपना निर्णय दिनांक 21.6.2011 को विरुद्ध कानून पारित करदी जिसके विरुद्ध अपीलान्तान ने न्यायालय जिला कलेक्टर महोदय सीकर केयहाँ अपील प्रस्तुत की योग्य जिला कलेक्टर महोदय ने तहसीलदार सीकर को आज्ञा दिनांक 21.6.2011